न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 389 / 2022

नरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह, जाति जाट, निवासी माकडो, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनूं।
––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, झुंझुनूं।
––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बमुकदमा प्राथमिकी नं0 296 / 2022 पुलिस थाना सिंघाना, अ0धा0 3 / 7 ई0सी0 एक्ट
––

उपस्थितः–

1. श्री उम्मेद सिंह, एडवोकेट–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–राज्य सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.01.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के वाहन पिकअप चेचिस नम्बर एमएआईजेड एन 2 टीएनकेएमआईई 45638 इंजन नं0 टीएनएमआईई 63678 जिसके रजिस्ट्रेशन नं0 आर जे 53 जीबी 0056 है। उक्त प्रकरण मे जप्त है जिसे प्रार्थी सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। वाहन खडा रहने से उसके खराब होने की संभावना है। पुलिस को उक्त वाहन की आवश्यकता नही है। प्रार्थी के टेक्ट्रर व अन्य वाहन है जिनके लिए उक्त डीजल परिवहन कर रहा है। विक्रय की मंशा से डीजल नही लाया गया था। प्रकरण की जांच मे पुलिस को उक्त वाहन की आवश्यकता नही है। इसलिए उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित व उचित है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे जप्त पिकअप नं0 आर0जे0 53 जी0बी0 0056 प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना, सिंघाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। थानाधिकारी पुलिस थाना, सिंघाना ने अपने पत्रांक 52 दिनांक 04.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20.10.2022 को श्री मुकेश चौधरी आर.पी.एस. पुलिस उप अधीक्षक वृत बुहाना ने एक फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी एवं जमा तलाशी मुलजीम रवि उर्फ रविन्द्र, चैक लिस्ट धारा 41 (1)(b)(ii) सीआरपीसी की इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.10.2022 को वक्त 5 पीएम पर जरिये मुखबीर सुचना मिली की पचेरी की तरफ से एक बिना नम्बरी पिकअप गाडी डीजल से भरी हुई सिघाना की तरफ आ रही है मुखबीर की सुचना से थानाधिकारी सिंघाना को निर्देश दिये कि भोदन पुलिया के पास सांयकालीन गश्त जाप्ता वालों से नाकाबंदी करवाये तथा सूचना पर वृताधिकारी मुकेश कुमार आरपीएस मय श्री रतन सिह एचसी 2552 श्री भीमसिह 1773 के सरकारी जीप सरकारी चालक श्री घनश्याम नम्बर 1204 के रवाना होकर वक्त 5:20 पीएम पर पुलिया के पास पहुंचा जहां पर श्री सुबेसिह एएसआई मय श्री अजय कुमार का0 284 मय जीप सरकारी चालक श्री यो... 083 के नाकाबंदी करते हुये मिले नाकाबंदी सुचारू रूप से चालू रखी गई वक्त 5:30 पीएम पर पचेरी तरफ से एक पिकअप गाडी आती हुई दिखाई दी जिसको रोकने का ईशारा देकर रूकवाया। चालक के नाम पता पूछा तो अपना नाम रवि पुत्र श्री बुधराम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी ढाणा थाना सिंघाना होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

बताया। पिकअप गाडी में क्या है बाबत पूछा तो डीजल के ड्रम भरा हुआ होना बताया। पीकअप की चैकिग हेतू आस--पास से स्वतंत्र मौतबीर तलाश किये। लेकिन नही मिले व आने जाने वाले वाहनों को रोककर भी स्वतंत्र मौतबीर बनाने की कोशिश की लेकिन कोई व्यक्ति स्वतंत्र मौतबीर नही बनने पर हमराही जाप्ता में ये श्री रतन सिह एचसी 2552, श्री अजय कुमार कानि0 284 को मोतबीर मामूर कर पिकअप को चैक किया। पिकअप गाडी के आगे पीछे नम्बर प्लेट नम्बर अंकित नही है। पिकअप के चेचिस नम्बर MAIZN2TNKMIE45638 है व इंजन नम्बर TNMIE63678 है। पिकअप गाडी पीछे डाला में आठ प्लास्टिक के बडें ड्रम जिसमें प्रत्येक में से 200 लि0 डीजल भरा हुआ व 8 प्लास्टिक के छोटे ड्रम जिसमें प्रत्येक में 50 लि0 डीजल भरा हुआ मिला। कुल दो हजार लीटर डीजल मिला। शक्स रवि कुमार को इतनी मात्रा में डीजल परिवहन करने बाबत लाईसेन्स व अनुज्ञापत्र पूछा तो कोई लाईसेन्स व अनुज्ञापत्र होना नही बताया जिसका उक्त कृत्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेंणी में आना पाया जाने पर पिकअप मय ड्रमो को कब्जा पुलिस में लिया जाकर प्रत्येक बडें ड्रम से एक एक बोतल 750 एमएल भरकर बतौर सेम्पल शिल्ड मोहर कर मार्क क्रमशः A से H तक अंकित किये गये व शेष डीजल को उन्ही ड्रमो में रहने दिया जाकर बतौर वजह सबुत शिल्ड मोहर कर र्माक A-1 से H-1 तक अंकित किये गये तथा छोटे आठ ड्रमो में प्रत्येक में एक एक बोतल 750 एमएल डीजल निकाला जाकर बतौर सैम्पल शील्ड मोहर कर क्रमशः मार्क I से P अंकित किया गया। तथा शेष डीजल को उन्ही ड्रमो में रहने दिया जाकर बतौर वजह सबूत शील्ड मोहर कर मार्क I-1 से P-1 तक अंकित किये गये। नमूना सील फर्द के हासिये पर अंकित की गई। मुल0 रवि कुमार को पृथक से गिरफ्तार किया जा रहा है इत्यादि पर प्रकरण संख्या 296/2022 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दर्ज कर तफ्तीश मन भजनाराम उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सिंघाना द्वारा प्रारम्भ की गई। मुकदमा हाजा में अब तक की गई तफ्तीश हासला, बयानात गवाहान श्री मुकेश चौधरी, आरपीएस, सुबेसिह सउनि, रतन सिह एचसी 2552 रविन्द्र कुमार कानि0 1191 भीमसिह कानि0 172, अजय कुमार कानि0 284, फर्द जब्ती एक पिकअप गाडी बिना नम्बरी बिना नम्बरी मय 2000 लीटर डीजल, चैक लिस्ट धारा 41 (1)(b)(ii) सीआरपीसी, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुल्जीम रवि उर्फ रविन्द्र, नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल, पूछताछ घटनास्थल के आस पडौसियान, जवाब नोटिस धारा 91 सीआरपीसी पिकअप गाडी मालिक नरेन्द्र सिह पुत्र श्री अमरसिह जाति जाट निवासी माकड़ो पुलिस थाना सिघाना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि मुकदमा हाजा का आरोपी रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र श्री बुधराम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी ढाणा थाना सिंघांना बिना नम्बरी पिकअप गाडी चेचिस नम्बर MAIZN2TNKMIE45638 है व इंजन नम्बर TNMIE63678 में बिना लाईसेन्स व अनुज्ञा पत्र के डिजल अवैध रूप से विक्रय करने के लिये परिवहन करता हुआ पाया गया है। पिकअप गाडी का रजिस्ट्रर्ड मालिक नरेन्द्र सिह से अनुसंधान करने पर पिकअप गाडी के नम्बर RJ 53 GB 0056 होना पाया गया है। उक्त पिकअप गाडी की मूल आरसी प्रकरण संख्या 278/2022 दिनांक 30.08.2022 पुलिस थाना नारनौल सदर जिला महेन्द्रगढ में होना पाया गया है। सम्पूर्ण तफ्तीश व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजीम रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र श्री बुधराम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी ढाणा थाना सिघाना जिला झुंझुनूं के खिलाफ जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित पाया गया है। मुकदमा हाजा में जब्ज शुदा पिकअप गाडी नंबर RJ 53 GB 0056 को रजिस्ट्रर्ड मालिक नरेन्द्र सिह पुत्र श्री अमरसिह निवासी माकडो पुलिस थाना सिघाना जिला झुंझुनूं को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दी जाती है तो थाना हाजा को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि वाहन पिकअप गाडी नंबर RJ 53 GB 0056 है का वह ही रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना, सिंघाना मे जप्त है। उक्त वाहन की पुलिस थाना कोतवाली को अनुसंधान मे कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसके लिए प्रार्थी अपने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने मे धूप बरसात मे खडे रहने से उसके रंग रोगन उडने की पूर्ण

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

संभावना है। प्रार्थी मौतबीर व्यक्ति है। मौतबीर जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार कर प्रार्थी को उसकी पिकअप गाडी नंबर RJ 53 GB 0056 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिंघाना की रिपोर्ट के अनुसार वाहन पिकअप गाडी नंबर RJ 53 GB 0056 अन्य किसी प्रकरण मे वांछित नही है। वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया जावे तो पुलिस को कोई आपत्ति नही है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण मे थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिंघाना की रिपोर्ट के अनुसार वाहन पिकअप गाडी नंबर RJ 53 GB 0056 है अन्य किसी प्रकरण मे वांछित नही है। वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया जावे तो पुलिस को कोई आपत्ति नही है। अतः जप्त वाहन पिकअप गाडी नंबर RJ 53 GB 0056 को 8–8 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, सिंघाना को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण सिंह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:17 IST
Reason: SelfAttested